

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4 () परावि/पीसी/EU-SPP/2011/पार्ट/ 479


जयपुर, दिनांक : 21.3.14

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 70 / 2013-14)

वित्त(आय-व्ययक अनुभाग) विभाग की स्वीकृती संख्या 473/2013-14 दिनांक 3.10.2013 एवं जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक स्वीकृती क्रमांक 3796 दिनांक 23.9.2013 द्वारा युरोपियन युनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत एक्शन प्लान में स्वीकृत गतिविधि Provide Budgetary Support to Implement IWRM Based Village Water Security Plans & Associated Development of Water Infra-Structure (Civil) Works के तहत विभाग के निजी निक्षेप खातों में जमा राशि रु. 20.00 करोड़ (अक्षरे राशि रुपये बीस करोड़ मात्र) योजनान्तर्गत घयनित 6 जिले यथा बाड़मेर, झुन्झुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर एवं पाली की घयनित पंचायत समितियों की घयनित 1000 ग्राम पंचायतों को राशि रु. 2.00 लाख प्रति ग्राम पंचायत की दर से हस्तान्तरित किये जाने हेतु संलग्न सूची अनुसार संबंधित जिला परिषदों को भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग विभागीय परिषद क्रमांक 1598 दिनांक 8.11.2012 एवं पत्र क्रमांक 389 दिनांक 5.4.2013 के अनुसार किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्नानुसार है :-
बजट मद

मांग संख्या - 46	मांग संख्या - 46	योग (राशि लाखों में)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 798-जनजाति क्षेत्र उपयोगना (01)-लघु सिंचाई निर्माण कार्य [03]-राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय (09)-राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम [01]-निर्माण कार्य 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	
500.00 लाख	1500.00 लाख	2000.00 लाख
(अक्षरे राशि रुपये पांच करोड़ मात्र)	(अक्षरे राशि रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र)	(अक्षरे राशि रुपये बीस करोड़ मात्र)

जिला परिषदों का उत्तरदायित्व होगा कि व्यय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जावे।



(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज मुख्यालय को भेजकर अनुरोध है कि विभागीय पी.डी. खातों में जमा राशि रु. 2000.00 लाख में से संलग्न सूची के कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि रु. 2000.00 लाख के डी.डी. संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पक्ष में जारी कराकर गिजवाना सुनिश्चित करावे।
5. मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
6. मुख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - बाड़मेर, झुन्झुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर एवं पाली।
7. लेखाधिकारी, जिला परिषद - बाड़मेर, झुन्झुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर एवं पाली।
8. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट अपलोड करने बाबत।



अधिशायी अभियन्ता (प्रो.)

यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत इन्वेस्टमेन्ट कम्पोनेन्ट हेतु जारी राशि का विवरण

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों की संख्या	जिलेवार ग्राम पंचायतों की संख्या	राशि रु. 2.00 लाख की दर से आवंटन योग्य इन्वेस्टमेन्ट कम्पोनेन्ट की राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1	बाडमेर	धोरीमन्ना	47	192	384.00
		चौहटन	51		
		सिवाणा	40		
		बालोतरा	54		
2	झुञ्जुनू	उदयपुरवाटी	37	151	302.00
		नवलगढ	35		
		सूरजगढ	37		
		बुहाना	42		
3	जोधपुर	मण्डोर	25	133	266.00
		शेरगढ	32		
		फलीदी	37		
		लूणी	39		
4	नागौर	रिया	38	206	412.00
		परबतसर	35		
		नागौर	47		
		डीडवाना	43		
		डेगाना	43		
5	पाली	सुमेरपुर	29	162	324.00
		खारघो	47		
		पली	23		
		बाली	39		
		देसुरी	24		
6	सोकर	खण्डेला	40	156	312.00
		लक्ष्मणगढ	37		
		धोध	43		
		पीपराली	36		
योग			1000	1000	2000.00

बजट मद

मांग संख्या - 46

4702	-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
796	-	जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	
(01)	-	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
[03]	-	राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम	
17	-	वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	राशि रु. : 500.00 लाख

बजट मद

मांग संख्या - 46

4702	-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
800	-	अन्य व्यय	
(09)	-	राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम	
[01]	-	निर्माण कार्य	
47	-	वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	राशि रु. : 1500.00 लाख

योग राशि रु. : 2000.00 लाख

ef
ओम्पेश.पी. अभियन्ता
पञ्जाबी राज विभाग
अजमेर, जयपुर